न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –13/2016 एवं 1/2017 जिला दौसा

1. सुभाष पुत्र जौहरी लाल , जाति ब्राह्मण, निवासी पुरोहितपाडा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. अंजू पत्नी दीपक , जाति ब्राह्मण, निवासी पुरोहितपाडा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. घनश्याम पुत्र लड्डू लाल, जाति ब्राह्मण, निवासी लालसोट, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा प्रकरण संख्या 12/10 अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 8.2.2016 जिसके नामांतरकरण संख्या 8 पर आदेश दिनांक 8.2.1962 तहसीलदार लालसोट निरस्त किया गया ।

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार जोशी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री उमेश गौड एवं श्री राजकुमार शर्मा

अपील संख्या –1/2017 जिला दौसा

1. घनश्याम पुत्र लड्डू लाल, जाति ब्राह्मण, निवासी लालसोट, जिला दौसा , वर्तमान निवासी अहमदाबाद, गुजरात ।

अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभू लाल पुत्र गोकुल प्रसाद, जाति ब्राह्मण पुराहित, निवासी पुरोहित पाडा, लालसोट, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. सुभाष पुत्र जौहरी लाल , जाति ब्राह्मण पुरोहित, निवासी पुरोहितपाडा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
3. अन्जू पत्नि दीपक, जाति ब्राह्मण पुरोहित, निवासी लालसोट, जिला दौसा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट, अजला दौ ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा प्रकरण संख्या 13/10 अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 8.2.2016 बाबत नामांतरकरण संख्या 391दिनांक 16.7.1971 को पारित आदेश तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा ।

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री उमेश गौड एवं श्री राजकुमार शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री अशोक कुमार जोशी

चित्रा
रिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक 22.5.2018

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत

नामांतरकरण 8 पर पारित तहसीलदार लालसोट के आदेश दिनांक 8.2.62 के खिलाफ घनश्याम बनाम प्रभू लाल उनवानी अपील संख्या 12/2010 में पारित अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 8.2.2016 के खिलाफ एवं नामांतरकरण संख्या 391 के खिलाफ घनश्याम बनाम प्रभू लाल उनवानी अपील संख्या 13/2010 में पारित अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 8.2.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है, जो अपील संख्या 13/2016 एवं 1/2017 पर दर्ज की गई । दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों मे रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

यह कि कन्हैया लाल पुत्र छाजू लाल, जाति ब्राह्मण पुरोहित अलमशहूर नेनचड्या की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2292 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 2299 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2300 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 2301 लगायत 2308 किता 11 कुल रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट, जिला दौसा का नामांतरकरण अन्तर्गत धारा 5 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 13.4.1960 को काल्या पुत्र रामकुंवार माली निवासी लालसोट, जिला दौसा के नाम भरा गया जिसे तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 4.1.1961 को स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण के आधार पर जमाबन्दी संवत 2015 में नोट अंकित हो गया , जिसे अन्तर्गत धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खातेदार के विकलांग होने के कारण उप खण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 28.6.1961 द्वारा निरस्त कर दिया गया । जमाबन्दी संवत 2015 में अंकित काल्या पुत्र रामकुंवार के नाम तस्दीक नामांतरकरण निरस्त होने के कारण उनका नाम विलोपित हो गया । इसके बाद बनी जमाबन्दी संवत 2019 में उक्त रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा के अलावा आराजी खसरा नम्बर 1424 रकबा 1 बीघा, 1425 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 2327 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 14 रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट, जिला दौसा में खातेदारी रामबाई कौम ब्राह्मण साकिन देह जौहरी लाल ब्राह्मण व शिव, काल्या कौम माली के नाम तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 8.2.1962 को शिकमी अंकित कर दिया गया । जमाबन्दी खाता संख्या 167 में दिनांक 8.2.62 को नामांतरकरण निरस्त होने का नोट लगाए जाने के बाद खातेदारी कन्हैया लाल पुत्र छाजू लाल के नाम होना वांछित थी , लेकिन 2019 की जमाबन्दी में नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 8.2.62 को संदर्भित कर खातेदार के रूप में रामबाई का नाम अंकित कर दिया जबकि उस समय खातेदार कन्हैया लाल व उनकी पत्नी कौशल्या देवी भी जीवित थे । रामबाई को मृतक बताकर नामांतरकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.71 को प्रभू लाल को स्वर्गीय रामबाई का पौत्र बताकर उसके नाम तस्दीक कर दिया । प्रभू लाल द्वारा अपीलान्ट के चाचा कन्हैया लाल की भूमि हडपने के उद्देश्य से रामबाई को मृतक बताकर अपने नाम नामांतरकरण संख्या 391 तस्दीक किया है । विवादित भूमि का विक्रय प्रभू लाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.5.71 से सुभाषचन्द्र पुत्र जौहरी लाल ब्राह्मण को किया गया एवं विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण सख्या 564 केता सुभाष चन्द के नाम तस्दीक हुआ है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कन्हैया लाल पुत्र छाजू ब्राह्मण की खातेदारी भूमियों का काल्या पुत्र रामकुंवार माली के नाम दिनांक 4.1.61 को तस्दीक नामांतरकरण संख्या 8 को निरस्त कर दिनांक 8.2.62 को रामबाई का नाम अंकित करने के खिलाफ एवं रामबाई की विरासत के नामांतरकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.71 जो प्रभू लाल के नाम तस्दीक हुआ है, के खिलाफ घनश्याम पुत्र लड्डू लाल ब्राह्मण द्वारा पृथक पृथक दो अपीलें न्यायालय अति.

जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई जिनमें से नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 8.2.62 के खिलाफ प्रकरण 12/2010 में अपील निर्णय दिनांक 8.2.16 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण आदेश तहसीलदार लालसोट जमाबन्दी अंकन सं. 2019 जिसमें रामबाई बेवा ....(नामालूम) अंकित किया गया था, खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि प्रकरण में तथ्यों की पूर्ण जॅाच की जाकर व पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर यथासम्भव दो माह के अन्दर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें । दूसरे नामांतकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.71 जो रामबाई की विरासत का प्रभू लाल के नाम तस्दीक किया था, के खिलाफ प्रकरण संख्या 13/2010 में अपील अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8.2.16 द्वारा खारिज की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 391 यथावत रखा गया ।

कन्हैया लाल पुत्र छाजू लाल ब्राह्मण की खातेदारी भूमियों के नामांतरकरण संख्या 8 काल्या पुत्र रामकुवार माली के नाम दिनांक 4.1.61 तस्दीक , को तहसीलदार लालसोट ने आदेश दिनांक 8.2.62 द्वारा निरस्त कर रामबाई के नाम खातेदारी अंकित किये जाने के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत घनश्याम बनाम प्रभू लाल की प्रथम अपील संख्या 12/2010 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.2016 के खिलाफ विवादित भूमि के केता सुभाष व अंजू द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपील संख्या 12/10 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.16 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की । यह अपील अपील संख्या 13/2016 पर दर्ज की गई है ।

खातेदार रामबाई के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.1971 को प्रभू लाल पुत्र गोकुल प्रसाद के नाम तस्दीक, के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत घनश्याम बनाम प्रभू लाल की प्रथम अपील संख्या 13/2010 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.2016 के खिलाफ घनश्याम द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपील संख्या 13/10 में पारित अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर दौसा दिनांक 8.2.16 व नामांतरकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.71 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की । यह अपील संख्या 1/2017 पर दर्ज की गई है ।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपील संख्या 13/16 उनवानी सुभाष बनाम धनश्याम मे अपीलान्ट एवं अपील संख्या 1/17 उनवानी घनश्याम बनाम प्रभूलाल में रेस्पोंडेन्ट के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी ने अपील संख्या 13/16 में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट घनश्याम द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 8.2.62 के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील 53 वर्षों के निराशाजनक विलम्ब से प्रस्तुत की थी तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं होने पर भी विलम्ब के बिन्दु को नजरन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको न्यायालय द्वारा नजरन्दाज किया जाना उचित नहीं है । उनका कहना था कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में इन्द्री बेवा छाजू लाल के नाम दर्ज थी जिनके द्वारा लगान जमा नहीं कराने के कारण भूमि समर्पण करदी गई एवं लगान जमा कराने पर भूमि रामबाई के पति जानकी लाल के नाम दर्ज हो गई । स्व. कन्हैया लाल ने स्वयं को जानकी लाल का दत्तक पुत्र बताकर अनेक न्यायालयों में मुकदमें लडे जिनमें उन्हें सफलता नहीं मिली तथा बाद में

काल्या माली का नामांतरकरण खारिज होने पर न्यायालय के निर्णय से भूमि रामबाई के नाम दर्ज हुई । यह भली भांति सिद्ध था कि रामबाई का पुत्र मोती लाल , मोती लाल का पुत्र गोकुल प्रसाद व गोकुल प्रसाद का पुत्र प्रभू लाल है, जो रामबाई का विधिक वारिस होने से उसके नाम नामांतरकरण संख्या 391 तस्दीक हुआ है । प्रभू लाल का नाम राजस्व अभिलेख में आने के बाद उचित प्रतिफल लेकर भूमि अपीलान्ट सुभाष पुत्र जौहरी लाल को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय की थी , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को नजरन्दाज कर रामबाई के असली वारिस की जॉच करने के अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि रामबाई की विरासत का नामांतरकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.71 प्रभू लाल के नाम तस्दीक हुआ था, के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से निरस्त कर नामांतरकरण संख्या 391 को यथावत रखा है, जिससे पूर्णतया सिद्ध है कि प्रभू लाल ही रामबाई का विधिक वारिस है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 12/10 में रामबाई के नाम अंकित नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 8.2.62 के खिलाफ अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.16 द्वारा स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश खारिज किया जाकर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया गया है तथा दूसरे प्रकरण संख्या 13/10 में रामबाई की विरासत के नामांतरकरण संख्या 391 के खिलाफ अपील में अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.16 द्वारा अपील खारिज की जाकर नामांतरकरण संख्या 391 यथावत रखा गया है , जो विरोधाभासी है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट घनश्याम द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया कि वह कन्हैया लाल के भाई का पुत्र हो या कन्हैया लाल अथवा कौशल्या देवी के द्वारा कोई वसियत घनश्याम के नाम की गई हो । भूमि के केता सुभाष का नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित हो चुका था इसके बाद नियमित वाद के माध्यम से ही कार्यवाही हो सकती थी । अधीनस्थ न्यायालय में प्रभू लाल पुत्र गोकुल प्रसाद को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 बनाया था जिसका दिनांक 5.9.2010 को स्वर्गवास हो गया था , फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया है , जो विधि सविरूद्ध है । अतः अपील संख्या 13/16 उनवानी सुभाष बनाम घनश्याम स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8.2.16 निरस्त किया जावे एवं रामबाई के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 8 पर तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.2.62 यथावत रखा जावे तथा अपील संख्या 1/2017 उनवानी घनश्याम बनाम प्रभू लाल खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर दौसा दिनांक 8.2.2016 एवं रामबाई की विरासत के तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 391 को यथावत रखे जावे।

अपील संख्या 1/17 उनवानी घनश्याम बनाम प्रभूलाल में अपीलान्ट एवं अपील संख्या 13/16 उनवानी सुभाष बनाम घनश्याम में रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता श्री उमेश गौड एवं श्री राजकुमार शर्मा में बहस के दौरान अपील संख्या 1/17 में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि स्व. कन्हैया लाल के जीवित रहते हुये कन्हैया लाल की खातेदारी भूमि रामबाई ने तहसील कर्मचारियों से मिली भगत कर अपने नाम करवाली जबकि रामबाई नामक महिला का कोई अस्तित्व ही नहीं है । इतना ही नहीं रामबाई की विरासत का नामांतरकरण भी गलत तरीके से रेस्पोंडेन्ट प्रभू लाल ने अपने नाम करवा लिया । विवादित भूमि कन्हैया लाल पुत्र छाजू लाल ब्रह्मण पुरोहित की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसका नामांतरकरण अन्तर्गत धारा 5 काश्तकारी अधिनियम दिनांक 13.4.60 को काल्या पुत्र रामकुंवार माली के नाम भरा गया जिसे तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 4.1.61 को गलत तरीके से तस्दीक किया गया , जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है, जिसके आधार पर जमाबन्दी

संवत 2015 में नोट अंकित किया गया तथा उक्त खातेदारी को धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदार के विकलांग होने के कारण उप खण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 28.6.61 द्वारा निरस्त किया गया, जिससे काल्या पुत्र रामकुंवार का नाम विलोपित हो गया । इसके पश्चात् संवत 2019 में उक्त रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1424 रकबा 1 बीघा, 1425 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 2327 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 14 कुल रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी रामबाई बेवा........ कौम ब्राह्मण साकिन देह जौहरी लाल ब्राह्मण शिव, काल्या कौम माली को गलत तरीके से शिकमी अंकित कर दिया गया जबकि जमाबन्दी खाता संख्या 167 दिनांक 8.2.62 को नामांतरकरण निरस्तीकरण का नोट अंकित होने पर खातेदारी अंकन कन्हैया लाल पुत्र छाजू लाल के नाम अंकित करनी चाहिये थी, लेकिन विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से 2019 में रामबाई को खातेदार दर्ज करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि रामबाई के नाम अंकित नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 8.2.62 के खिलाफ अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.16 द्वारा स्वीकार की जाकर जमाबन्दी संवत 2019 में अंकित रामबाई बेवा ....(नामालूम) , को खारिज कर प्रकरण सुनवाई हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया था । उनका कहना था कि प्रकरण संख्या 12/10 में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.16 द्वारा जब रामबाई के नाम दर्ज खातेदारी खारिज करदी गई थी तो प्रकरण संख्या 13/10 में रामबाई की विरासत के प्रभू लाल के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 391 के खिलाफ अपील में अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.16 पारित कर अपील खारिज करने एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 391 यथावत रखने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि जब रामबाई के नाम खातेदारी खारिज हो चुकी थी तो रामबाई की विरासत का नामांतरकरण 391 भी खारिज होना चाहिये था । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 प्रभू लाल ने गलत तरीके से रामबाई का प्रपौत्र बनकर रामबाई की विरासत का नामांतरकरण अपने नाम गलत करवा लिया जबकि अपीलान्ट स्व. कन्हैया लाल के भाई का पुत्र है एवं स्व. कन्हैया लाल की पत्नि ने अपीलान्ट के पक्ष में वसियत कर रखी है । ऐसी स्थिति में कन्हैया लाल की सम्पत्ति का अपीलान्ट ही एकमात्र उत्तराधिकारी है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील संख्या 1/17 उनवानी घनश्याम बनाम प्रभूलाल स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.16 व रामबाई की विरासत के नामांतरकरण संख्या 391 पर पारित आदेश दिनांक 16.7.71 निरस्त किया जावे तथा रामबाई के नाम अंकित नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 8.2.62 के खिलाफ प्रस्तुत अपील संख्या 13/16 उनवानी सुभाष बनाम घनश्याम खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.16 यथावत रखा जावे जिसके द्वारा रामबाई के नाम किया गया नामांतरकरण संख्या 8 खारिज किया गया था।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण विवादित भूमि के खातेदार कन्हैया लाल पुत्र छाजू लाल ब्राह्मण की विरासत के नामांतरकरण से संबंधित है । नामांतरकरण संख्या 8 अन्तर्गत धारा 5 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम काल्या पुत्र रामकुंवार माली के नाम तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 4.1.1960 को स्वीकार किया गया , जिसके आधार पर जमाबन्दी संवत 2015 में अंकित नोट को अन्तर्गत धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खातेदार के विकलांग होने के कारण उप खण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 28.6.1961 द्वारा निरस्त कर दिया गया । इससे

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

काल्या पुत्र रामकुंवार नाम विलोपित हो गया । इसके बाद बनी जमाबन्दी संवत 2019 में उक्त रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा के अलावा आराजी खसरा नम्बर 1424 रकबा 1 बीघा, 1425 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 2327 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 14 रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट, जिला दौसा में खातेदारी रामबाई कौम ब्राह्मण साकिन देह जौहरी लाल ब्राह्मण व शिव, काल्या कौम माली के नाम तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 8.2.1962 को शिकमी अंकित कर दिया गया । जमाबन्दी खाता संख्या 167 में दिनांक 8.2.62 को नामांतरकरण निरस्त होने का नोट लगाए जाने के बाद खातेदारी कन्हैया लाल पुत्र छाजू लाल के नाम आनी थी, लेकिन 2019 की जमाबन्दी में नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 8.2.62 को संदर्भित कर खातेदार के रूप में रामबाई का नाम अंकित कर दिया । रामबाई की विरासत का नामांतरकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.71 प्रभू लाल के नाम तस्दीक कर दिया । विवादित भूमि का विक्रय प्रभू लाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.5.71 द्वारा सुभाषचन्द्र पुत्र जौहरी लाल ब्राह्मण को किया गया एवं विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण सख्या 564 केता के नाम तस्दीक हुआ है ।

उक्त दोनों नामांतरकरणो के खिलाफ घनश्याम पुत्र लड्डू लाल ब्राह्मण की दोनों अपीलें क्रमशः नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 8.2.62 के खिलाफ प्रकरण 12/2010 में अपील अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8.2.16 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण आदेश तहसीलदार लालसोट जमाबन्दी अंकन सं. 2019 जिसमें रामबाई बेवा ....(नामालूम) अंकित किया गया था, खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि प्रकरण में तथ्यों की पूर्ण जॉच की जाकर व पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर यथासम्भव दो माह के अन्दर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें । दूसरे नामांतकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.71 जो रामबाई की विरासत का प्रभू लाल के नाम तस्दीक किया था, के खिलाफ प्रकरण संख्या 13/2010 में अपील अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8.2.16 द्वारा खारिज की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 391 यथावत रखा गया ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील संख्या 13/2016 सुभाष बनाम घनश्याम के संबंध में हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा द्वारा स्व. कन्हैया लाल पुत्र छाजू लाल ब्राह्मण की खातेदारी भूमियों के नामांतरकरण संख्या 8 जो काल्या पुत्र राम कुंवार माली के नाम तस्दीक दिनांक 4.1.61 को तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.2.62 से निरस्त कर रामबाई के नाम खातेदारी अंकित करने के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा के समक्ष घनश्याम बनाम प्रभू लाल की अपील संख्या 12/10 में अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.2016 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार लालसोट द्वारा रामबाई का नाम अंकित करने के आदेश को खारिज किये जाने एवं प्रकरण तथ्यों की पूर्ण जॅाच की जाकर व पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर यथासम्भव दो माह के अन्दर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किये जाने के कारण , हम उक्त अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं । अतः भूमि के केता सुभाष वगैहरा बनाम घनश्याम की अपील संख्या 13/2016 में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील संख्या 13/2016 सुभाष बनाम घनश्याम खारिज की जाती है ।

अपील संख्या 1/2017 घनश्याम बनाम प्रभू लाल के संबंध में हम समझते हैं कि तहसीलदार लालसोट द्वारा खातेदार रामबाई की विरासत का नामांतरकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.71 को प्रभू लाल पुत्र गाकुल प्रसाद के नाम तस्दीक किये जाने के खिलाफ घनश्याम बनाम प्रभू लाल की प्रथम अपील संख्या 13/2010 में अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.2016 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर रामबाई की विरासत के नामांतरकरण संख्या 391 को यथावत रखने में विधिक त्रुटि की है । क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने रामबाई के नाम खातेदारी अंकित करने के तहसीलदार लालसोट के आदेश दिनांक 8.2.62 को घनश्याम बनाम प्रभू लाल की अपील संख्या 12/2010 में अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.2016 द्वारा खारिज कर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किये जाने के कारण रामबाई की विरासत का प्रभू लाल के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.71 स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रामबाई का नाम खातेदारी में अंकित करने के तहसीलदार लालसोट के आदेश को निरस्त करने के बाद रामबाई की विरासत के नामांतरकरण संख्या 391 प्रभू लाल के नाम दिनांक 16.7.71 को तस्दीक हुआ था, को यथावत रखा है, जो विरोधाभासी होने से विधिसम्यक नहीं है । अतः रामबाई की विरासत के प्रभू लाल के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.71 के खिलाफ घनश्याम बनाम प्रभू लाल की प्रथम अपील संख्या 13/2010 में अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.2016 के खिलाफ घनश्याम बनाम प्रभूलाल उनवानी अपील संख्या 1/2017 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर दौसा दिनांक 8.2.16 निरस्त किया जाकर प्रकरण तथ्यों की पूर्ण जॉच कर उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर व वारिसान की विधिवत जॉच की जाकर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में नामांतरकरण के संबंध में पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप घनश्याम बनाम प्रभू लाल की अपील संख्या 1/2017 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर दौसा दिनांक 8.2.16 निरस्त किया जाकर प्रकरण तथ्यों की पूर्ण जॉच कर उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर व वारिसान की विधिवत जॉच की जाकर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में नामांतरकरण के संबंध में पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 22.5.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर